



अधिकांश कि शांति हुई दि. 31.7.24 को  
पेश होना।

  
S D D


31.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिकांश अध्यापकवारण  
उपरिस्थित। वकील वादी प्रकरण में त्थागत्य  
की अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट हैं।  
एवं आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। भूमिदारी  
तहसीलदार श्रीमलवाड़ा की ऑर से जवान  
प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार  
वादी ने वादग्रस्त भूमि में से ख. नं. 104 के  
आतिरिक्त समस्त भूमि विक्रय कर दी है।  
वादी किसी प्रकार की लादरसी-चाहने का  
हकदार नहीं है। वकील वादी ने नोट-प्रेस  
करने का निवेदन किया। अतः वाद रसी

Not present  
(M)  
31/7/24

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाड़ा

प्रक्रम पर खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर बाद तकमील गरिबत  
दफतर होवे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाड़ा